घटना कर दूंगा तो भी मेरा कुछ नहीं बिगडेगा मैं अपनी नौकरी में हाजरी लगा दूंगा। दिनांक 24.05.2017 को प्रतिवादीगण ने वादी की आराजी ख0न0 1283 की डोल को करीब 10 फुट दबाकर नींव खोदने के निशान लगा दिये और ख0न0 1284 में भी निर्माण करने की तैयारी में है। यदि आराजी के हिस्सा 10 फुट को दबाकर निर्माण कर लिया तो वादी को अदहद क्षति होगी इसलिए प्रतिवादीगण को जर्ये हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जावे कि वादी की विवादित आराजी के किसी भी भाग को दबाकर नींव ना खोदें, ना ही निर्माण करें, ना ही वादी की डोल को मिसमार करें, ना ही वादी के काश्त कार्य में मजामहत ही पैदा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने की स्थिति में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में शपथ पत्र महिपाल पीडब्ल्यू–1, शांति देवी पीडब्ल्यू–2 शपथ पत्र पेश किये एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जगाबदी संवत् 2071–74 एवं नक्शा ट्रेस पेश किया।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दौराने बहस वकील वादी ने वादी के वाद पत्र के जिमनों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण को विवादित आराजी के बाबत डिक्री हु0ई0 दवामी से पांबद कर डोल को मिसमार नहीं करें, ना ही वादी की आराजी के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं करें, ना ही विवादित आराजी में कच्चा या पक्का निर्माण कार्य ही करें, ना ही वादी के कब्जे काश्त कार्य में किसी भी प्रकार से रूकावट ही पैदा करें, मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन रहा। ऐसी स्थिति में वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–::आदेश::–

यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में विवादित आराजी ख0न0 1283, 1284 वाके ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से सदैव–सदैव के लिए पाबंद किया जाता है कि वे वादी की उक्त विवादित आराजी के किसी भी भाग पर जबरन कब्जा नहीं करें, ना ही कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य ही करें, ना ही किसी भी प्रकार से वादी के कब्जा

Scanned by CamScanner

काश्त में रूकावट ही पैदा करें, मौके की यथास्थिति बनाये रखें, पाबंद रहे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

26.03.18

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner